कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 692 / 2013 / 10–11 / 108 भोपाल, दिनांक 13-1-2017

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.)
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– **बैतूल वृत्त के अंतर्गत वन मंडल उत्तर (सामान्य) के परिक्षेत्र सारनी वनखंड बाकुड़ / लोनिया के कक्ष क्रमांक 327 / 398, 328 / 399, 329 / 400 के रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूमि कोयला खनिज के भूमिगत उत्खनन कार्य हेतु वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, क्षेत्र बैतूल का प्रस्ताव।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / एफ–1 / 692 / 2013 / 10–11 / 170, दिनांक 15.01.2015

––0––

कृपया प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव आपको प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार के पोर्टल http://forestsclearance.nic.in/ ऑनलाईन में प्रस्ताव निरस्त करने की सूचना प्राप्त हुई थी।

2– वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा पत्र दिनांक 09.08.2016 एवं 16.09.2016 से प्रस्तावित प्रस्ताव का कोई भी भाग पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा से कम से कम 8.5 कि.मी. की दूरी पर होने से प्रस्ताव में पुनर्विचार का अनुरोध किया गया। जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.09.2016 से मुख्य वन संरक्षक, बैतूल एवं वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल को प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने हेतु लेख किया गया था।

3– वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1955, दिनांक 10.10.2016 (प्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया कि आवेदित कक्ष क्रमांक 328 सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा के अन्दर नहीं आता है, परन्तु कक्ष क्रमांक 328 सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर / पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि. मी. की परिधि में आता है। वन मंडल अधिकारी, उत्तर बालाघाट द्वारा आवेदक संस्थान को भूमिगत खनन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा भाग–2 में की गई है।

4– मुख्य वन संरक्षक, बैतूल द्वारा भी वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल के प्रतिवेदन दिनांक 10.10.2016 के आधार पर प्रस्ताव में स्वीकृति देने की अनुशंसा भाग–3 में की गई है।

–2–

5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल द्वारा दिनांक 02.12.2016 (प्रति संलग्न) से प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अभिमत दिया गया है कि :–

- प्रस्तावित क्षेत्र सारणी के नगरीय क्षेत्र के निकट है।
- यह क्षेत्र WII द्वारा चिन्हित 10 कोल ब्लॉक जहॉ renewal नहीं करना है, उसके पश्चिम में स्थित है।
- कॉरीडोर क्षेत्र में नहीं होने के कारण प्रकरण की स्वीकृति में कोई आपत्ति नहीं है।

6– म0प्र0 शासन, वन विभाग द्वारा भी प्रकरण में भूमिगत उत्खनन कार्य की वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को स्वीकृति देने का प्रशासकीय अनुमोदन भाग–V में दिया गया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक, बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र दिनांक 05.11.2016 सहपत्रों तथा भाग–2, 3, 4 एवं 5 में प्रकरण में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को स्वीकृति की अनुशंसा के प्रपत्र एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में स्वीकृति देने पर पुनर्विचार कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

12/1/17

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–1 / 692 / 2013 / 10–11 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला–बैतूल, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, पाथाखेड़ा क्षेत्र, पोस्ट पाथाखेड़ा, बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

12/1/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

-166-
3

कार्यालय वन वृत्त, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय : (07141) 234396, ई–मेल : ccf.btl@mp.gov.in

आवश्यक

क्रमांक / मा.चि. / 2016 / 2043 बैतूल, दिनांक / 5 / 11 / 2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषयः बैतूल वृत्त के अंतर्गत वनमंडल उत्तर (सा.) बैतूल के परिक्षेत्र सारनी वनखंड बाकुड / लोनिया के कक्ष क्रमांक–327 / 398, 328 / 399, 329 / 400 के रकबा–201.079 हे. वनभूमि कोयला खनिज के भूमिगत उत्खनन कार्य हेतु वेस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड पाथाखेडा क्षेत्र बैतूल का प्रस्ताव।

संदर्भः–1–आपका पत्र क्र. / एफ–1 / 692 / 2013 / 10–11 / 2115, दि. 30.09.2016,
2–वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) बैतूल व.म. का पत्र क्र. / मा.चि. / 1955, दिनांक 10.10.2016

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव का पुनर्विचार की स्थिति में प्रकरण में स्पष्ट अभिमत प्रस्ताव के भाग–2 एवं 3 में अंकित कर सुसंगत अभिलेखों / मानचित्रों सहित प्रतिवेदन तीन प्रतियो में चाहा गया है।

आपके संदर्भित पत्र के परिपालन में वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) बैतूल व.म. के संदर्भित पत्र क. / मा.चि. / 1955, दिनांक 10.10.2016 से प्रकरण में अभिमत सहित प्रस्ताव के भाग–2 में अनुशंसा की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। तदानुसार प्रकरण में वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) बैतूल व.म. द्वारा भाग–2 में की गई अनुशंसा के आधार पर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र. / 122, दिनांक 06 / 01 / 2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत विषयांकित प्रस्ताव के भाग–3 की पूर्ति इस कार्यालय से की जाकर, सहमति सहित प्रस्ताव के भाग–2 एवं 3 मय अभिलेख / मानचित्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु तीन प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार। (प्रस्ताव भाग–2,3 तीन प्रति में)

5.11.16

(आर.के.यादव)
मुख्य वन संरक्षक,
बैतूल

पृष्ठां.क्रमांक / मा.चि. / 2016 / 2044 बैतूल, दिनांक / 5 / 11 / 2016

प्रतिलिपिः–

1–वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बैतूल की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2–क्षेत्रीय महाप्रबंधक, डब्ल्यू. सी. एल. पाथाखेडा क्षेत्र, पाथाखेडा जिला बैतूल की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5.11.16

मुख्य वन संरक्षक,
बैतूल

2a [illegible]

कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) क्रमांक 4268
मध्यप्रदेश, भोपाल

908

DM-File

4

-167-

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल

07141–234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2016/ 1955

बैतूल ,दिनांक/ 10/10/16.

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बैतूल वृत्त

विषय :- बैतूल वृत्त के अंतर्गत वनमंडल उत्तर (सा.) बैतूल के परिक्षेत्र सारनी वनखंड बाकुड़/ लोनिया के कक्ष क्रमांक - 327 / 398 , 328 / 399 , 329 / 400 के रकबा - 201.079 हे. वनभूमि कोयला खनिज के भूमिगत उत्खनन कार्य हेतु वेस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र बैतूल का प्रस्ताव।

संदर्भ :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल पत्र क्रमांक / एफ- 1 / 692 / 2013 / 10-11 / 2115 दिनांक 30.09.2016

2- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ मा.चि. / 2016 / 367 दिनांक 05.03.2016

3- क्षेत्रीय महाप्रबंधक डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा क्षेत्र जिला बैतूल का पृ. क्रमांक / WCL / PKD / AGM / SO (Plg) / 2016 / 430 दिनांक 09.08.2016

-00-

विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा आवेदित कक्ष क्रमांक - 328 का आंशिक भाग पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा के अंदर आता है तथा शेष भाग पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर और पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है लेख किया गया था। यह लेख प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 486 दिनांक 25.01.2012 के साथ संलग्न पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कॉरीडोर की सीमा दर्शाये जाने वाले मानचित्र के आधार पर किया गया था (छायाप्रति संलग्न है)।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2015 / 122 दिनांक 06.01.2015 (छायाप्रति संलग्न है) से वनमंडल में सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर का मानचित्र एवं कॉरीडोर क्षेत्र मे आने वाले कक्षों की सूची प्राप्त हुयी है , जिसके अवलोकन में पाया गया है कि आवेदित कक्ष क्रमांक - 328 सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा के अंदर नहीं आता है।

आवेदित कक्ष क्रमांक - 328 सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर / पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। आवेदक संस्थान को भूमिगत खनन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है , प्रस्ताव के भाग - 2 की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(संजीव झा)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल

पृ.क्रं./मा.चि./2016/ 1956.

बैतूल/ दिनांक/ 16-10-16

प्रतिलिपि:- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- उपक्षेत्रीय प्रबंधक तवा - 2 उपक्षेत्र डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा क्षेत्र की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

भाग – II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान		
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	i	मध्यप्रदेश
ii	जिला	ii	बैतूल
iii	वन प्रभाग	iii	वन मण्डल का नाम रामपुर भतोड़ी परियोजना मंडल, वन विकास निगम बैतूल/परिक्षेत्र का नाम **चोपना** वन परिक्षेत्र/वन खण्ड का नाम **लोनिया** /आवेदित वन क्षेत्र **201.079** हेक्टेयर है।
iv	वनोतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	iv	201.079 हे.
v	वन की कानूनी स्थिति	v	आरक्षित वन जो वनविभाग के अधिपत्य में है।
vi	वनो का घनत्व	vi	आवेदित वनक्षेत्र में आई व्ही बी का मिश्रित वन है जिसका घनत्व 0.20 से 0.40 तक है।

(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :–

परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.में)
चोपना (वन विकास निगम, बैतूल)	लोनिया	327	66.473
		328	94.722
		329	39.884
		योगः–	**201.079**

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :–

परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.में)
		– – निरंक – –		

vii	आवेदित क्षेत्र में स्थित वक्षो की परिगणना संलग्न की जाए । सिंचाई / विद्युत परियोजना के संबंध में एफ. आर.एल.एफ आर एल–2 मीटर और एफ आर एल–4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए।	vii	आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार प्रमुख वनस्पति प्रजातिया पायी जाती है।

स.क्र.	प्रजाति का स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम
1	सागौन	Tectona grandis
2	साज,हल्दु,सीवन	Ternimalia Tometosa
3	हल्दु	Adina cordifolia
4	सीवन	Gmelina arborea
5	भिरीया	Chloroxlyon Swietenia
6	तेन्दू	Duispyros Melanoxylon
7	लेण्डिया	Lagerstroemia paviflora
8	महुआ	Madhuca Indica
9	सालई	Boswellia serrata
10	अचार	Buchanania lanzan
11	बेहड़ा	Terminatia bellerica
12	कुसुम	Schleichera oleosa
13	केसिया	Cassia
14	पीपल	Ficus religiosa
15	बीजा	Pterocarpus marsupium
16	शिशम	Dalbergia latifolia
17	तिन्सा	Ougeinia oojeinensis

आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है:–

गोलाई वर्गवार संख्या					
प्रजाति	10–20	21–60	61 से 120	121 एवं अधिक	कुल
सागौन	138	29	–	–	167
अन्य	124	473	160	17	774
योग:–	**262**	**502**	**160**	**17**	**941**

विस्तृत परिधि (गोलाई) श्रेणीवार विवरण पृष्ठ संख्या क्रमांक 52 संलग्न है।

7

viii	भू–सरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (वर्तमान भू–क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू–क्षरण बाबत्)	viii	संलग्न है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	ix	आरक्षित /संरक्षित वनखण्ड की सीमा से कि.मी. मीटर है ।
x	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है? (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए।)	x	प्रस्तावित परियोजना में आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग नही है अपितु वनमंडल में उपलब्ध मानचित्र अनुसार आवेदित कक्ष क्रमांक-327, 328 एवं 329 इस वनमंडल की सीमा के अंदर आने वाले सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर एवं पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	xi	नही है।
xii	क्या काई संरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दे।	xii	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	8	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लघंन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है ?	9	कोई उल्लघंन का कार्य नहीं हुआ है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।		
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू खंडों की संख्या, प्रत्येक भू खंड का आकार।	i	आवश्यक नही ।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र।	ii	आवश्यक नही ।
iii	प्रतिपुरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाये को दर्शाता मैप (गैर वनभूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैपर से सर्वेक्षित डिजीटल मानचित्र (सॉफ्टकॉपी) – 5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच = 1 मील) भी संलग्न किया जावे।	iii	आवश्यक नही ।
iv	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपुरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।	iv	आवश्यक नही ।
11	उप वन संरक्षक (वनमंडल अधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	पृष्ठ क्रमांक 84 पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाईल		
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	i	10043.00 वर्ग कि.मी.
ii	जिले का वनक्षेत्र	ii	4048.843 वर्ग कि.मी.
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	iii	अभी तक कुल 36 प्रकरणो में 2041.971 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैरवानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।

9

iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	iv	24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।

अनु. क्र.	दुगने बिगडे / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. में)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. में)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. में)	योग	
1	2	3	4	5	6	
1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41	

v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	v	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

अनु. क्र.	दुगने बिगडे वनक्षेत्र में (हे. में)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. में)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. में)	योग	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
	106.928	1167.389	180.271	-	1454.588	

टीपः– अभी तक इस वनमंडल के अंतर्गत 337.491 हे. में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राशि रूपये 29,31,222/– व्यय हुआ।

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत। नोट– आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तो के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तो का ब्यौरा दिया जावे ।	13	प्रस्तावित परियोजना में आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग नही है अपितु वनमंडल में उपलब्ध मानचित्र अनुसार आवेदित कक्ष क्रमांक-327, 328 एवं 329 इस वनमंडल की सीमा के अंदर आने वाले सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर एवं पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। अत: आवेदक विभाग द्वारा आवेदित भूमिगत खनन की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि :–

स्थान :–

हस्ताक्षर

नाम साफ अक्षरों में (संजीव झा)

पदनाम भा.व.से.

(सरकारी मोहर) वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल(सा.)व.म.

भाग ।।।

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।		नहीं।
15	क्या वन संरक्षक, उप वनसंरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		प्रकरण में वनमंडलाधिकारी (सा.) उत्तर वनमंडल, बैतूल के पत्र क्रं./ मा. चि./1955 दिनांक 10.10.2016 एवं भाग–।। में की गई अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति हेतु सहमत होते हुए अनुशंसा की जाती है।

तिथि :–

स्थान :– बैतूल

25.10.16

(आर.के.यादव)

मुख्य वन संरक्षक,

बैतूल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल.
प्रगति भवन, तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल
दूरभाष 0755–2674206, 2674248 फैक्स 0755–2766315

क्रमांक / मा.चि. / 486 भोपाल, दिनांक 25-01-2012

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक,
छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
2. मुख्य वन संरक्षक,
बैतूल वृत्त बैतूल (म.प्र.)

विषय:– **Forest and Environment clearance to the coal mining project in Pench-Kanhan Coalfield located in Chhindwara district of Madhya Pradesh.**

संदर्भ:– Assistant IGF' GoI, MoEF letter No. F No.11-164/2010 FC dated 17/06/2011 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / माचि. / 5685 दिनांक 05.12.2011

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। पत्र के कंडिका क्रमांक–13 के अनुसार पेंच–कन्हान कोलफील्ड जिला छिन्दवाड़ा म.प्र. में, कोल माईनिंग प्रोजेक्ट क्लीरेंश हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर पेंच–सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कारीडोर का आंकलन कर एक रिपोर्ट एवं मानचित्र तैयार किया गया हैं। जिसमें कारीडोर की सीमा, वनमण्डलों की सीमा एव उसमे स्थित कोल ब्लाकों एवं माइनिंग क्षेत्रों को विभिन्न रंगो से दर्शाया गया हैं। जिनकी (दो रंगीन मानचित्र) छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.06.2011 के कंडिका क्रमांक– 13(i) में पेंच–कन्हान कोलफील्ड के 68 कोल ब्लॉको में से 10 कोल ब्लॉक पेंच–सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कारीडोर के मध्य स्थित होना दर्शाया गया है। यह कोल ब्लॉक पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल एवं उत्तर बैतूल वनमण्डल में आते है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(1). 55 (Rakhikol) (2). 58 (Nandan-II) (3) 59 (Bansi) (4) 60 (Dahu North)
(5). 61 (Rakhinala) (6). 62 (Dahu Extn.) (7). 63 (Koyalwari)
(8). 64 (Tandsi South), 65 (Tandsi North), 67 (Tandsi -III) (9) 66 (Tambia) (10) 68 (Dhanwa)

भारत सरकार के उक्त पत्र में कंडिका क्रमांक– 15(ii) में दिये गये निर्देशानुसार पेंच–सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कारीडोर के मध्य में स्थित इन 10 कोल ब्लॉको में किसी भी प्रकार की माईनिंग एक्टीविटीज एवं कोल माईनिंग प्रोजेक्ट क्लीरेंश हेतु अनुमति नही दी जाना हैं। अतः उक्तानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\Dinesh Kumar\Letter Folder\ManChitrkar Sakha.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,म.प्र.

बी डी ए. बिल्डिंग प्रगति भवन, तृतीय तल एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल–462011
दूरभाष क्र.0755/2674296, 2674337 (O), 2674318 (PABX) 2766315 (FAX)

क्रमांक/मा.चि./2015/122 भोपाल, दिनांक 6.01.2015

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त
मध्यप्रदेश,

विषय: टाइगर रिजर्वो के कॉरीडोर का प्रबन्धन।

सेन्ट्रल इंडियन लैंडस्केप में विभिन्न टाइगर रिजर्वो में उपलब्ध बाघ की सोर्स पापुलेशन की आनुवंशिक विविधता बनाये रखने एवं टाइगर रिजर्व से बाहर निकलने वाले युवा बाघों एवं अन्य वन्यप्राणियों के विचरण के लिये टाइगर रिजर्व को जोडने वाले कॉरीडोर का उचित प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतीय वन्यप्राणी संस्थान(W.I.I.) देहरादून द्वारा मुख्यतः वन आवरण के आधार पर प्रदेश के निम्न टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले कॉरीडोर की पहचान की गई है :-

1. कान्हा–पेंच कॉरीडोर
2. पेंच–सतपुड़ा कॉरीडोर
3. सतपुडा–मेलघाट कॉरीडोर
4. कान्हा–अचानकमार कॉरीडोर
5. कान्हा–बांधवगढ़ कॉरीडोर
6. बांधवगढ़–संजय–गुरुघासीदास कॉरीडोर
7. रणथंबोर–कूनो–माधव कॉरीडोर

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वन मं.

इन कॉरीडोर्स की शेप फाइल (Shape files) संलग्न कर ई–मेल से प्रेषित की जा रही है जिसे आर्क व्यू में गूगल अर्थ पर डिजिटल वन मानचित्र पर देखा जा सकता है एवं कॉरीडोर में आने वाले वन क्षेत्र/गैर वन क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। आपकी सुविधा हेतु वन मंडलवार कॉरीडोर में आने वाले क्षेत्र की पी.डी.एफ. फाइल भी संलग्न की जा रही है।

कॉरीडोर्स के उचित प्रबन्धन हेतु सर्व प्रथम इन कॉरीडोर से समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों/ कर्मचारियों (बीट रक्षक स्तर तक) को अवगत कराया जाना आवश्यक है। इसके लिये कॉरीडोर की सीमा परिक्षेत्र एवं बीट मानचित्रों पर अंकित कराइ जावे। तदुपरांत इन कॉरीडोर्स का जमीनी सत्यापन (GROUND TRUTHING) कराया जाना है कि उक्त कॉरीडोर्स का वन्यप्राणियों द्वारा वास्तव में कितना उपयोग किया जा रहा है। यह सत्यापन वन्यप्राणियों के प्रत्यक्ष दर्शन (sighting) चिन्ह (signs and evidence) यथा उनकी विष्ठा, मारा, खरोंच, इत्यादि के आधार पर किया जाकर तिथिवार स्थल की जी.पी.एस. लोकेशन का अभिलेखन किया जाना है। सत्यापन के आधार पर वास्तविक कॉरीडोर की पहचान की जाकर उसे मानचित्र पर पुनः अंकित कराया जावे। जो वन कक्ष कॉरीडोर में आंशिक आ रहे

है उन्हें प्रबन्धन की दृष्टि से पूरा कॉरीडोर में मान्य किया जावे। साथ ही कॉरीडोर में कमजोर कड़ियों की पहचान की जाना है जहाँ वन आवरण कम है अथवा अनुपस्थित है। अथवा रेल/ सड़क के कारण बाधा है, विखंडन है। एवं तदुपरांत इन कमजोर कड़ियों का उचित उपचार प्रस्तावित किया जाना है यथा वन आवरण को बढ़ाने के लिये रोपण, बाधाओं को दूर कराने के लिये अंडर पास/ओवर पास का निर्माण। यदि जैविक दबाव चराई, जलाऊ हेतु अत्यधिक है तो उसे कम करने के उपाय करना होंगे।

टाइगर रिजर्व के टाइगर कंजर्वेशन प्लान (TCP) में कॉरीडोर के प्रबन्धन हेतु सामान्य प्रावधान किये गये हैं जो आपको पृथक से अवगत कराये जा रहे हैं। वन मंडल की कार्य आयोजना का पुनरीक्षण होते समय कार्य आयोजना अधिकारी को कॉरीडोर की सीमाओं से अवगत कराना संबंधित क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी का दायित्व होगा ताकि कार्य आयोजना में कॉरीडोर के उचित प्रबन्धन हेतु क्षेत्र आधारित (site specific) विशेष प्रावधान किये जा सकें।

भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा पहचान किये गये कॉरीडोर के अतिरिक्त भी ऐसे कॉरीडोर हो सकते हैं जिनका वन्यप्राणियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है अतः ऐसे स्थानीय महत्वपूर्ण कॉरीडोर की पहचान एवं उसका उचित प्रबंधन भी आवश्यक है। पन्ना टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व, नौरादेही, रानी दुर्गावती अभयारण्य को जोड़ने वाले कॉरीडोर भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा पहचान नहीं किये गये हैं परंतु बाघों द्वारा ऐसे कॉरीडार का उपयोग किया जा रहा है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन का केन्द्र बिन्दु कॉरीडोर का प्रबन्धन है। समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ कर्मचारी इस महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत हो एवं उन्हें वास्तविक कॉरीडोर की पहचान कैसे करनी है, यह स्पष्ट करने के लिये माह जनवरी,2015 में वृत्त स्तर एवं वन मंडल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जावे एवं उसके एक माह बाद उनके द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा की जाकर जमीनी सत्यापन के आधार पर पहचान किये गये वास्तविक कॉरीडोर्स की सीमाएँ माह मार्च,2015 अंत तक इस कार्यालय को अवगत कराइ जावें ताकि राज्य स्तर पर एक बैठक आयोजित कर कॉरीडार्स के प्रबन्धन बावत चर्चा की जा सकें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

6/1/15
(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2015/ 123 भोपाल, दिनांक 6 .01.2015

प्रतिलिपिः—

1 समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) म.प्र. को अग्रेषित कर लेख है कि कॉरीडोर के प्रबन्धन बावत वृत्त स्तरीय कार्यशाला के उपरांत वन मंडल स्तर पर कार्यशाला माह जनवरी,2015 में ही आयोजित करें एवं तदुपरांत कॉरीडोर का जमीनी सत्यापन एवं वास्तविक पहचान का कार्य माह फरवरी, 2015 में पूर्ण कराया जावें। भारतीय वन्यप्राणी संस्थान देहरादून द्वारा चिन्हांकित कॉरीडार्स की शेप फाईल (shape files) एवं इस कार्यालय द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय वन मंडलवार मानचित्र की पी.डी.एफ. फाईल संलग्न है। इसके अनुसार पश्चिम एवं पूर्व मंडला, डिंडोरी, उमरिया, उत्तर/दक्षिण शहडोल, अनूपपुर, पूर्व/पश्चिम/दक्षिण छिन्दवाड़ा, दक्षिण सिवनी, उत्तर/दक्षिण

क्रमशः.........

बालाघाट, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो अभयारण्य, होशंगाबाद, हरदा, उत्तर/दक्षिण/पश्चिम बैतूल, छिंदवाड़ा एवं पश्चिम सीधी (कुल 26 वन मंडल) में से उक्त कॉरीडोर गुजरते हैं।

2/ समस्त संचालक/क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व को अग्रेषित कर लेख है कि कॉरीडोर प्रबंधन बावत् वृत्त स्तरीय/ वन मंडल स्तरीय कार्यशलाओं में आप/आपके अधिकारी भी भाग लें। भारतीय वन्यप्राणी संस्थान की कॉरीडोर की शेप फाईल संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल
पृ० क्रमांक मा०चि०/15/133 दिनांक 9/1/15

प्रतिलिपि :- समस्त व०म०अ० (सामान्य) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। विषयान्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें, तद्नुसार कृत कार्यवाही से अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक
बैतूल वृत्त बैतूल (म.प्र.)
8/1/15

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वन मं.

भाग–IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जॉच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूमि कोयला खनिज भूमिगत उत्खनन कार्य का वेस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

तिथिः 08.12.2016

स्थानः भोपाल

08/12/16
(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रपत्र–V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूमि कोयला खनिज भूमिगत उत्खनन कार्य का वेस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 27/12/16
स्थान: भोपाल

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

एफ–1/692/2015/10–11/

विषय– बैतूल वृत्त अंतर्गत वन मंडल, उत्तर (सा.) बैतूल के परिक्षेत्र सारनी वन खण्ड बाकुड़/लोनिया के कक्ष क्रमांक 327/398, 328/400 के रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूम कोयला उत्खनन कार्य हेतु–मेसर्स डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा बैतूल का प्रस्ताव।

––0––

वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा पत्र दिनांक 10.10.2016 से प्रतिवेदित किया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल के पत्र क्रमांक/122, दिनांक 06.01.2015 से वन मंडल कार्यालय को सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर का मानचित्र एवं कॉरीडोर क्षेत्र में आने वाले कक्षों की सूची प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन में पाया गया कि आवेदित कक्ष क्रमांक 328 सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा के अन्दर नहीं आता है, किन्तु सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर/पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है अतः आवेदक संस्थान के भूमिगत खनन कार्य करने की स्वीकृति देने की अनुशंसा भाग–2 में की गई है।

12. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल द्वारा भी वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतलू की अनुशंसा से सहमति व्यक्त कर खनन कार्य करने की स्वीकृति देने की अनुशंसा भाग–3 में की गई है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में आवेदक संस्थान को भूमिगत खनन कार्य करने की अनुमति हेतु मुख्य वन अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल का अभिमत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार प्रस्ताव सहित नस्ती मुख्य वन अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल को भेजने हेतु प्रस्तुत है। प्रपत्र भाग–2 में वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा अपनी अनुशंसा में प्रस्तावित क्षेत्र सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व 10 कि.मी. अंदर होने का लेख करते हुए स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक, बैतूल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र 10 कि.मी. के अंदर है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत प्राप्त करना उचित होगा।

30/11/16

30-11-16

30/11/16

अधीक्षक (भू–प्रबंध)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

WCL ने वर्ष 2013 में उत्तर बैतूल वनमंडल में 201.079 Ha में भूमिगत खनन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसका विवरण N-1/2 पर अंकित है। तत्समय प्रस्तावित क्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फियर तथा पेंच-सतपुड़ा कॉरिडोर के निकट होने के कारण DFO/CCF/राज्य nodal/शासन ने यह अभिमत दिया था कि प्रस्ताव अमान्य किया जावे। PCCF (WL) ने भी प्रस्ताव अमान्य करने की अनुशंसा की थी। MoEF ने प्रस्ताव अमान्य कर दिया था।

WCL ने पुनः इस प्रकरण में कार्यवाही चाही है। DFO, North Betul तथा CCF, Betul ने अनुशंसा की है। पृ.172, 173

अतः प्रकरण में पचमढ़ी बायोस्फीयर तथा कॉरिडोर का क्षेत्र निकट होने के कारण PCCF (WL) का अभिमत लिया जाना आवश्यक है। अतः नस्ती PCCF (WL)

ई 150

229 20 (22)

विषय– बैतूल वृत्त अंतर्गत वन मंडल, उत्तर (सा.) बैतूल के परिक्षेत्र सारनी वन खण्ड बाकुड़/लोनिया के कक्ष क्रमांक 327/398, 328/400 के रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूम कोयला उत्खनन कार्य हेतु–मेसर्स डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा बैतूल का प्रस्ताव।

––0––

को अंकित करना चाहेंगे।

30/11/16

PCCF & HOFF

PCCF (WL)

30.11.16

(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(डॉ. अनिमेष शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
(वन बल प्रमुख) म.प्र., भोपाल

No./PCCF 2397
R/Date 30-11-2016
D/Date 30-11-2016

P.A./APCCF (L.M.)/No. 121
Date 30-11-16

01-12-16

• कृपया APCCF (L/M) की टीप दिनांक 30.11.16 देखें।

• प्रकरण में यदि पहले FD. Satpura से पत्राचार हुआ है तो उसका हवाला देकर FD. का अभिमत बुलावें।

APCCF (RPS)
APCCF (Ale)
AM.

PCCF (WL) के पत्र 486 दिनांक 25/12 से WII की टीम के 10 ब्लाकों को छोड़ कर शेष के माइनिंग की अनुमति बाबत दी जा सकती है। प्रस्तावित क्षेत्र ब्लाक नक्शे के अनुसार इन 10 ब्लाकों के अतिरिक्त है। नक्शे में उप निदेशक (बाकुड़) –TR के हस्ताक्षर है। अतः अनुमति दी जा सकती है

02/12/16

2/12/16

PCCF (WL)

• प्रस्तावित क्षेत्र सारणी के ग्रामीण क्षेत्र के निकट है।

• यह क्षेत्र WII द्वारा चिन्हित 10 कोल ब्लॉक जो renewal नहीं करना है, उनके परिक्षेत्र में स्थित है।

• कॉरीडोर क्षेत्र में न होने के कारण इस कार्यालय

(P.T.O)

एफ–1 / 692 / 2015 / 10–11 /

विषय– बैतूल वृत्त अंतर्गत वन मंडल, उत्तर (सा.) बैतूल के परिक्षेत्र सारनी वन खण्ड बाकुड़ / लोनिया के कक्ष क्रमांक 327 / 398, 328 / 400 के रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूम कोयला उत्खनन कार्य हेतु–मेसर्स डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा बैतूल का प्रस्ताव।

––0––

वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा पत्र दिनांक 10.10.2016 से प्रतिवेदित किया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल के पत्र क्रमांक / 122, दिनांक 06.01.2015 से वन मंडल कार्यालय को सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर का मानचित्र एवं कॉरीडोर क्षेत्र में आने वाले कक्षों की सूची प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन में पाया गया कि आवेदित कक्ष क्रमांक 328 सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा के अन्दर नहीं आता है, किन्तु सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व कॉरीडोर / पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है अतः आवेदक संस्थान के भूमिगत खनन कार्य करने की स्वीकृति देने की अनुशंसा भाग–2 में की गई है।

12. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल द्वारा भी वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतलू की अनुशंसा से सहमति व्यक्त कर खनन कार्य करने की स्वीकृति देने की अनुशंसा भाग–3 में की गई है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में आवेदक संस्थान को भूमिगत खनन कार्य करने की अनुमति हेतु मुख्य वन अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल का अभिमत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार प्रस्ताव सहित नस्ती मुख्य वन अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल को भेजने हेतु प्रस्तुत है। प्रपत्र भाग–2 में वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा अपनी अनुशंसा में प्रस्तावित क्षेत्र सतपुड़ा मेलघाट टाईगर रिजर्व 10 कि.मी. अंदर होने का लेख करते हुए स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक, बैतूल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र 10 कि.मी. के अंदर है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत प्राप्त करना उचित होगा।

30/11/16

30-11-16

30/11/16

अधीक्षक (भू–प्रबंध)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

WCL ने वर्ष 2013 में उत्तर बैतूल वनमंडल में 201.079 Ha में भूमिगत खनन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसका विवरण N-1/2 पर अंकित है। तत्समय प्रस्तावित क्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फियर तथा पेंच-सतपुड़ा कॉरिडोर के निकट होने के कारण DFO/CCF/राज्य nodal/शासन ने यह अभिमत दिया था कि प्रस्ताव अमान्य किया जावे। PCCF (WL) ने भी प्रस्ताव अमान्य करने की अनुशंसा की थी। MoEF ने प्रस्ताव अमान्य कर दिया था।

पृ 150

WCL ने पुनः इस प्रकरण में कार्यवाही चाही है। DFO, North Betul तथा CCF, Betul ने अनुशंसा की है। पृ-172, 173

अतः प्रकरण में पचमढ़ी बायोस्फीयर तथा कॉरिडोर का क्षेत्र निकट होने के कारण PCCF (WL) का अभिमत लिया जाना आवश्यक है अतः नस्ती PCCF(WL)

(22) 20 (22)

विषय– बैतूल वृत्त अंतर्गत वन मंडल, उत्तर (सा.) बैतूल के परिक्षेत्र सारनी वन खण्ड बाकुड़/लोनिया के कक्ष क्रमांक 327/398, 328/400 के रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूम कोयला उत्खनन कार्य हेतु–मेसर्स डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा बैतूल का प्रस्ताव।

––0––

को अंकित करना चाहेंगे।

PCCF & HOFF

Sd/- 30/11/16

PCCF (WL)

Sd/- 30.11.16

(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(डॉ. अ[illegible]ष शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
(वन बल प्रमुख) म.प्र., भोपाल

P.A./APCCF (L.M.)/No. 121 Date 30.11.16

No./Dt. PA/PCCF 2397
R/Date 30-11-2016
D/Date 30-11-2016

01-12-16

• कृपया APCCF (L/M) की टीप दिनांक 30.11.16 देखें।

• प्रकरण में यदि पहले FD. Satpura से पत्राचार हुआ है तो उसका हवाला देकर FD. का अभिमत बुलालें।

APCCF (RPS)
APCCF (Adm)
AM.

PCCF (WL) के पत्र 486 दिनांक 25/12 से WII की टीम के 10 ब्लाकों को छोड़कर शेष के माइनिंग की अनुमति बाबत दी जा सकती है। उपलब्ध कराये गये नक्शे के अनुसार इन 10 ब्लाकों को अतिरिक्त है। नक्शे में उपनिरीक्षक [illegible] -TR के हस्ताक्षर हैं। अतः अनुमति दी जा सकती है।

Sd/- 02/12/16

Sd/- 2/12/16

PCCF (WL)

• प्रस्तावित क्षेत्र सारणी के आरक्षित क्षेत्र के निकट है।

• यह क्षेत्र WII द्वारा चिन्हित 10 कोल ब्लॉक जो renewal नहीं करना है, इनके परिक्षेत्र में स्थित है।

• कॉरीडोर क्षेत्र में न होने के कारण इस कार्यालय

(PTO)

एफ–1/692/2013/10–11/

विषयः– बैतूल वृत्त के अंतर्गत वन मंडल उत्तर (सामान्य) के परिक्षेत्र सारनी वनखंड बाकुड़/लोनिया के कक्ष क्रमांक 327/398, 328/399, 329/400 के रकबा 201.079 हेक्टेयर वन भूमि कोयला खनिज के भूमिगत उत्खनन कार्य हेतु वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, क्षेत्र बैतूल का प्रस्ताव।

पूर्व पृष्ठ से

को प्रकरण की स्वीकृति में कोई आपत्ति नहीं है।

PCCF, MP.

By Sec.

02/12/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

APCCF (LM)

5/12/16

(डॉ. अनिमेष शुक्ला),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
(वन बल प्रमुख) म.प्र., भोपाल

U.O. No./PCCF(SEC)/LM/ 934 Date 5-12-2016

No./Sr. PA/PCCF 2419
R/Date 05-12-2016
D/Date 05-12-2016

कार्य प्रभारी र.नि.

राज्य शासन से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने हेतु टीप प्रस्तुत करें

6/12

प्रकरण की संक्षिप्त टीप निम्नानुसार हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल के पत्र क्रमांक/1279, दिनांक 05.07.2013 से विषयांतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। P-01/c
2. उपरोक्त प्रस्ताव के भाग–2 में आवेदित कक्ष क्रमांक 327 एवं 329 उत्तर वन मंडल की सीमा के अन्दर आने वाले पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर एवं पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आने से एवं कक्ष क्रमांक 328 का आंशिक भाग पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर की सीमा के अन्दर तथा शेष भाग पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर एवं पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आने के कारण वन मंडल अधिकारी उत्तर बैतूल द्वारा भूमिगत खनन की अनुशंसा नहीं की गई। प्रस्ताव में Flag-'A'
3. प्रस्ताव के भाग–3 में मुख्य वन संरखक बैतूल द्वारा वन मंडल अधिकारी उत्तर बैतूल की अनुशंसा से सहमति व्यक्त कर प्रस्ताव की अनुशसा नहीं की गई। Flag-'B'
4. प्रस्ताव में आवेदित कक्षों का भाग पेंच सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर के अन्दर आने एवं पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आने के कारण प्रस्ताव मं अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सहित नस्ती प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल को प्रेषित की गई थी। N-09/c
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल द्वारा दिनांक 24.11.2014 को प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक बैतूल के अभिमत से सहमति व्यक्त की गई। N-10/c
6. प्रस्ताव पर म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा भी उपरोक्त अनुशंसाओं के आधार पर भूमिगत उत्खनन कार्य की अनुशंसा नहीं की गई। प्रस्ताव में Flag-"D"
7. तत्पश्चात कार्यालय के पत्र दिनांक 15.01.2015 से प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, नई दिल्ली को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया था। P-103/c
8. भारत सरकार के पोर्टल Forest clearance.nic.in आनलाईन में उपरोक्त प्रस्ताव निरस्त करने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र दिनांक 14.07.2016 से मुख्य वन संरक्षक बैतूल/वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल/आवेदक संस्थान को प्रस्ताव निरस्त की सूचना दी गई। P-149/c

MPFD

Location of Tiger corridors

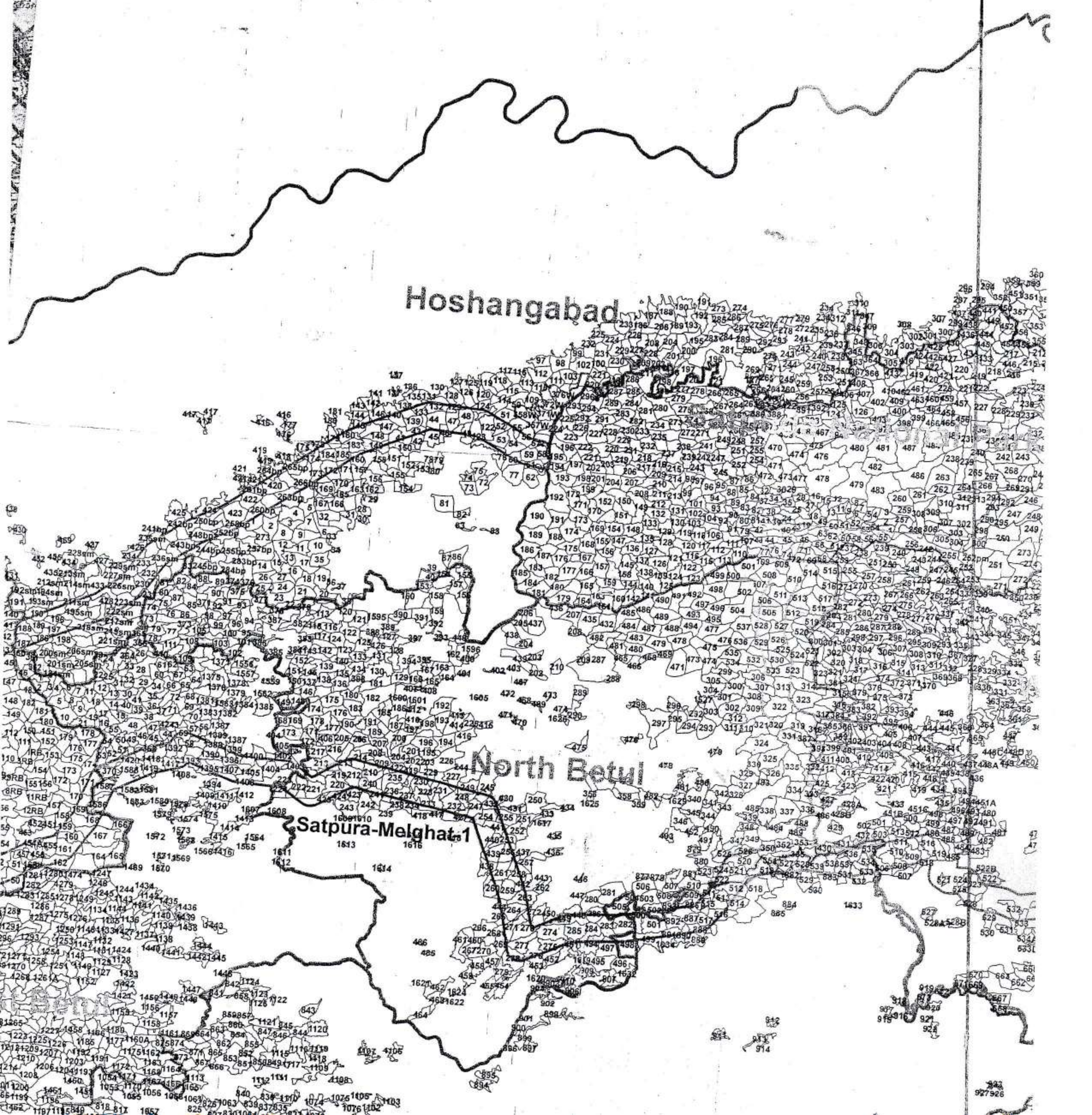

MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
CORRIDOR MAPS